

17.5.21

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली पेश किया है। श्रीमान
महोदय को पत्रावली पेश करने के लिए दिनांक 24.6.21 को पेश हो।

24.6.21

वकील पत्रावली/अपार्थी/उपस्थित उपस्थित
पत्रावली पेश करने के लिए दिनांक 1.7.21 को पेश हो।

1.7.21

पत्रावली पेश हुई। वकील अपार्थी की
बदल पत्रावली पत्रावली पेश करने के लिए
रकपडमी कार्यवाही सुनी गई। बदल
पर भवन किया। दिनांक 4.12.20 को
अपार्थी रामदेव के विरुद्ध की गई
एकरका कार्यवाही को निरस्त करने के
आदेश दिये जाते हैं। अपार्थी को पुनः
जवाब हेतु अवसर दिया जाता है।
पत्रावली दिनांक 22.7.21 को पेश हो।

22/7

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली पेश किया है। श्रीमान
महोदय को पत्रावली पेश करने के लिए दिनांक 3.11.21 को पेश हो।

3.11.21

पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।

10/12/21

पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।
पत्रावली पत्रावली पेश की गई। दिनांक 10.12.21 को पेश हो।



उपस्थित अधिकारी
नैनवां (बूढ़ी)

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम व तारीख
आवकाम जो १-५
हुम की तारीख
में जारी हुए

दिनांक २४.३० से एक-दो सित पूर्व
भूमि ख. नं. २३५६' एका ६-१५ बीघा
के नाम हुगारी के से ६ क्विंटल पर
बिना इजाजत काट दिये हैं जो कि
प्रजापति रामदेव पुत्र मिश्री नाथ जाति
नाथ सा. हुगारी में फरे हैं। यह कि
जप्तशुदा लकड़ी के शीघ्र निलामी के
आदेश फरमाने की कृपा करें।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र,
पुस्तक रिपोर्ट दस्तवेज आदि का
अवलोकन किया। प्रार्थना का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थना
रामदेव पुत्र मिश्री नाथ जाति नाथ सा. हुगारी
पर ₹ २०० अक्षरे की सौ रूपये का जुर्माना
कसूल किये जाने के आदेश तहसीलदार
नैनवां के दिये जाते हैं तथा तहसीलदार
नैनवां से आदेशित किया जाता है कि
जप्तशुदा लकड़ी की निलामी कर प्राप्त
शशि की राजकोष में जमा करवें।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली बाद तकमील दारिखला दफ्तर
है। ५

म्यखण्ड अधिकारी

नैनवां (मुन्दी)